



2026:AHC:21560

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2103 सन् 2026

सीताराम ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 37 अन्य ..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : हरेंद्र प्रसाद यादव,

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/आयुक्त, आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़ को पुनरीक्षण संख्या 150/ए (कंप्यूटर वाद संख्या C202215000001259) (सीता राम और अन्य बनाम लखराज और अन्य) का शीघ्र निर्णय लिया जाए।
4. यह मामला निचली अदालत में लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/आयुक्त आजमगढ़, क्षेत्र आजमगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका का निर्णय **कानून के अनुसार, तत्काल और अधिमानतः चार महीने के भीतर करें**, प्रमाणित प्रति निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से, लेकिन अनावश्यक स्थगन न दिया जाए, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



30 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"